

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1501] No. 1501] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.आ. 1655(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिला के दरभा तालुका तहसील में स्थित है।

और, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो समृद्ध वनस्पितयों और जीवजंतुओं जिसमें स्तनधारी पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली, विविध तितिलयां और किड़ें-मकौड़े शामिल हैं; के पर्यावास के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध कृतुमंसर गुफाओं में स्टेलाक्टाइट के खूबसूरत स्तंभ और स्टेलागमाइट के स्तंभ, अंधी मछिलयां हैं; इसमें सर्केडियन, दंडक गुफाएं, तीर्थगढ़ झरनों विशेष प्रकार के जैव-विविधता के महत्त्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें विविध आकर्षक रंगऐं और व्यवहार वाली मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं।

2255 GI/2018 (1)

और, संरक्षित क्षेत्र यहां की विविध वनस्पित जैसे साल (सोरीया रोबुस्टा), सेमल (सल्मलीया मालाबिरका), कुल्लु (स्टेरकुलिया उरेंस), धामन (गरेविया टेलियाफोलिया), कुसुम (सचलेइचेरा ओलेसा),करंज (पोंगिमिया पिन्नाटा), बिजा (पटेरोकारपुस मारसुपियम), धावरा (अनोगेइसूस लटीफोलिया), अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन), सेजा (टर्मिनलिया टसेमेंटोसा), बहेरा (टर्मिनलिया बेल्लारिका) के समृद्ध वास के लिए जाना जाता है।

और, राष्ट्रीय उद्यान में महत्त्वपूर्ण जीवजंतु जैसे तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), रीछ (*मेलर्सस अरिसनस*), सामान्य लंगूर (सेम्नापिथेकुस इंटेल्लुस),रतेल (मेल्लीवोरा कपेंसिस), चीतल/ चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), इंडियन ग्रारडेन लार्जर (कैलोट्स वेरिसकोलोर), फेन-ट्रोटेड लिर्जाड (सितना पोंटीकेरीअना), ग्रीन विने शनाका (अहाइटुल्ला नासुटा), बंडेड राचेर (अरगयरोगेना फेस्किओलाटा), स्पेकटाकलेड कोबरा (नाजा नाजा), बरहिमिनिया बिलिंड स्नाके (रामफोटयफलापस बरामिनुस), ग्रीन कैल्बाका (मकरोपिसथोडोना पलुम्बिकोलोरा), बंदेड कदराइट (बुंगरूस फसिकअटुस),ग्रीन पीट विपर (टरीमेरेसुरूस ग्रांमिनेऊस) आदि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के पक्षी और तितली प्रजातियां में विले इंडियन पेओफोवल (पवो करीस्टुस), रेड जुंगलेओवल (गल्लुस गल्लुस), करेस्टेड सेरपेंट- गरूड़ (स्पीलोरनीस चैला), सामान्य किंगफिशर (अल्केदो अट्हीस), हाउस क्रो (क्रोवउस स्पेलेंदेंस),ब्लैक-करेस्टेड बुलबुल (पयकनोनोटुस फिलावीवेंटरीस*)*, हिल मैना (गरकुला रेल्लीगीओसा), जंगली ओवल (गलाउसीदीउम रेदीअतुम), स्पोटेड ओवल (स्ट्रीक्स ओपेटैन्टिलस) आदि और बेवन स्वीफट (पसेउदोनारबो बेवनी), सामान्य स्मोल फलाटा (सरांगेसा देसाहेरा), इंडियन स्कीपपेर (स्पिअलिया गलबा, बलुइ पंसय (जुनोनिया ओरिथीया), ब्लुइ मोरमोन (पिपिल्लओ पोलयम्नेस्टोर), लिमे बुट्टेरफलय (पिपिलओ देमोलेउस) आदि हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों में महत्त्वपूर्ण संकटापन्न प्रजातियों में मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), और चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), हैं।

और, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमा इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 से 6.6 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात:--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 166.00 वर्ग किलोमीटर है जो कि संरक्षित क्षेत्र से 0 (शून्य) से 6-6 किलोमीटर तक विस्तृत है। उड़ीसा के साथ अंत:राज्य सीमा से सगे होने के कारण पूर्वी दिशा का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य है।

<i>उत्तर</i>	4.5 किलोमीटर
उत्तर - पूर्व	4.6 किलोमीटर
पूर्व	0 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	2.4 किलोमीटर
दक्षिण	4.8
दक्षिण -पश्चिम	3.9 किलोमीटर
पश्चिम	6.6 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	2.6 किलोमीटर

- (2) कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध ।** में दिया गया है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II क घ** के रूप में संलग्न है।

- (4) कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की **उपाबंध ।।।** की सारणी **क एवं ख** के रूप में संलग्न है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध Ⅳ** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास:
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज,
 - (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।
- (10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।
- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्वंधित किया गया हो।
- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - (i) कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सिन्नमाण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्विनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा- संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा-संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात:** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिनत प्रदूषण:-** वाहन जिनत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
 - (ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सिहत उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सिहत अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:

		 (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगः	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार- बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

	1	
	साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बिहिर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहिर्स्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमित नहीं है और औद्योगिक प्रक्रिया और स्थापन प्रतिष्ठान, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा को और संस्थापन को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है. जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1. कलेक्टर, जगदलपुर, जिला बस्तर -अध्यक्ष;

2. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट -सदस्य; किया जाने वाला एक विशेषज्ञ

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर –सदस्य;

4. प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन —सदस्य; का प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

5. अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर जिला बस्तर –सदस्य;

6. अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर –सदस्य;

7. कार्यकारी अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड –सदस्य;

8. सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड -सदस्य:

9. सहायक निदेशक, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर –सदस्य;

10. निदेशक, कंगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर –सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/50/2017-ईएसजेड]


ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।

कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

- उत्तर:- कंगेर आरक्षित वन की उत्तरी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट 91, 90, 89, 88, 92, 93, 94, एवं 81 की उत्तरी सीमाएं, कम्पार्टमेंट 82,79 की उत्तर पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट 78,77,107पी,108, की उत्तरी पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट 75, की उत्तर पूर्वी सीमा,कम्पार्टमेंट 109,110,111 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट 111,112,113 और 114 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट 115 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट 72, की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट 69 की उत्तरी सीमा, इसके बाद रोज कम्पार्टमेंट 68,59P,60पी,63पी और 62 से होते हुए जाती है कोलब नदी के साथ कंगेर रिजर्व वन सीमा से मिलती है।
- पूर्व: कोलब नदी के साथ राज्य सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। (कम्पार्टमेंट 62, 65, 66 और 325 की सीमाएं शामिल है)
- **दक्षिण: -** कोलब नदी से आरंभ होकर कम्पार्टमेंट सं.325, 324, 323, 322 कंगेर रिजर्व वन की दक्षिण सीमाएं और कंगेर रिजर्व वन से विस्तृत कंगेर रिजर्व वन के कम्पार्टमेंट सं 321,320 and 318 रिज से होते हुए जाती है; कम्पार्टमेंट सं. 330,331,332 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं.334, 339, 340,344 की दक्षिणी सीमा और पुन: रिज से होते हुए कम्पार्टमेंट सं. 345,347,294,287 और 288 और कम्पार्टमेंट सं.174, 175 की दक्षिणी सीमा जाती है।
- पश्चिम: कम्पार्टमेंट सं.175 की पश्चिमी सीमा, ककलगूर राजस्व ग्राम और कंगेर रिजर्व वन की सीमा का कम्पार्टमेंट सं.172; कम्पार्टमेंट सं.171; की दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा; कम्पार्टमेंट सं. 85, 86, 87,168, 164 की दक्षिणी सीमा, कंगेर रिजर्व वन की पश्चिमी सीमा कम्पार्टमेंट सं.165,163 और 91 की सीमाओं में शामिल है।


<u>उपाबंध ∏क</u> मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध ⊞ख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला गूगल चित्र



<u>उपाबंध- ॥ ग</u> मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला भू-दृश्य मानचित्र



उपाबंध- ॥ घ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला भू-दृश्य मानचित्र



<u>उपाबंध-III</u>

सारणी क: कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख स्थानों के अक्षांश- देशांतर

क्र.सं	राष्ट्रीय उद्यान	दिशाएं	प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	ए	18° 56'27.05	81° 52'29.05
2	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	बी	18° 55'30.95	81° 54'9.45
3	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	सी	18° 54'32.60	81° 56'6.97
4	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	डी	18° 51'52.68	81° 58'23.39
5	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	र्पक	18° 50'48.42	82° 1'11.53
6	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एफ	18° 52'3.73	82° 3'22.83
7	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	जी	18° 50'3.64	82° 4'7.78
8	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एच	18° 48'13.65	82° 5'57.41
9	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	आई	18° 48'45.93	82° 10'3.44
10	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	जे	18° 45'55.73	82° 5'32.51
11	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	के	18° 44'49.40	82° 3'9.12
12	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एल	18° 46'23.35	82° 3'18.74
13	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एम	18° 47'53.47	82° 0'57.94
14	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एन	18° 48'20.98	81° 58'38.52
15	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	ओ	18° 49'35.53	81° 57'20.47
16	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	पी	18° 49'50.89	81° 54'33.19
17	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	क्यू	18° 52'3.33	81° 55'31.40
18	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	आर	18° 53'41.27	81° 53'3.41
19	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	एस	18° 54'50.48	81° 52'0.16

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	राष्ट्रीय उद्यान	दिशांए	प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	1	18° 57'24.36	81° 51'36.09
2	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	2	18° 55'59.66	81° 55'12.96
3	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	3	18° 54'31.14	81° 58'44.91
4	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	4	18° 52'17.95	82° 1'13.20
5	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	5	18° 52'9.98	82° 5'52.06
6	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	6	18° 50'11.39	82° 9'40.70
7	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	7	18° 44'13.79	82° 5'24.23
8	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	8	18° 46'25.75	82° 1'48.45
9	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	9	18° 46'31.59	81° 59'23.11
10	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	10	18° 47'49.58	81° 56'17.16
11	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	11	18° 49'51.11	81° 53'27.04

12	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	12	18° 51'42.81	81° 52'44.62
13	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	13	18° 52'44.73	81° 51'11.32
14	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	14	18° 54'3.07	81° 51'4.554
15	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	पारिस्थितिकी संवेदी जोन	15	18° 56'9.57	81° 50'31.99

उपाबंध-IV कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	संभाग	ग्राम का नाम	बिंदु आई डी	अक्षांश (उ) (डीएमएस स्वरूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस स्वरूप)
1	बस्तर	मावलीपदर	I	18° 55'37.36	81° 55'25.83
2	बस्तर	कोलावाडा	П	18° 53'17.48	82° 0'29.28
3	बस्तर	मीलकुलवाडा	III	18° 52'43.28	81° 58'56.70
4	बस्तर	नागलसार	IV	18° 51'54.97	81° 58'43.75
5	बस्तर	पुलचा	V	18° 48'54.24	82° 6'46.06
6	बस्तर	मुंदागर	VI	18° 44'7.17	82° 4'8.28
7	बस्तर	ककालगुर	VII	18° 51'50.52	81° 54'30.41

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तृत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2018

S.O. 1655(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Kanger Valley National Park is spread over an area of 200 square kilometres and situated in Darbha Taluka/Tehsil of Bastar district in the state of Chhattisgarh.

AND WHEREAS, the Kanger Valley National Park is an important protected area known for the habitat of rich flora and fauna including mammals, birds, amphibians, reptiles, fishes, varieties of butterflies and insects. The famous Kutumsar Caves, having beautiful pillars of Stalactite and Column of Stalagmite, blind fishes in it having circadian rhythms, Dandak Caves, Tirthgarh waterfall are important abode of special kind of biodiversity including different species of spiders with varied fascinating colours and behaviours.

AND WHEREAS, The protected area is known for its rich habitat for a variety of flora such as Sal (Shorea robusta), Semal (Salmalia malabarica), Kullu (Sterculia urens), Dhaman (Grewia tiliaefolia), Kusum (Schleichera oleosa), Karanj (Pongamia pinnata), Bija (Pterocarpus marsupium), Dhawra (Anogeissus latifolia), Arjun (Terminalia arjuna), Saja (Terminalia tomentosa), Bahera (Terminalia bellerica) etc.

AND WHEAREAS, The important fauna found in the National park are Leopard (*Panthera pardus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Common langur (*Semnopithecus entellus*), Ratel (*Mellivora capensis*), Cheetal/ Spotted deer (*Axis axis*), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Indian garden lizard (*Calotes versicolor*), Fan-troated lizard (Sitana ponticeriana), Green vine snake (*Ahaetulla nasuta*), Banded racer (*Argyrogena fasciolata*), Spectacled cobra (*Naja naja*), Brahminy blind snake (*Ramphotyphlops braminus*), Green keelback (*Macropisthodon plumbicolor*), Banded kdrait (Bungarus fasciatus), Green pit viper (Trimeresurus gramineus) etc. While Indian peafowl (*Pavo cristatus*), Red jungleowl (*Gallus gallus*), Crested serpent-Eagle (*Spilornis cheela*), Common kingfisher (*Alcedo atthis*), House crow (*Corvus splendens*), Black-crested Bulbul (*Pycnonotus flaviventris*), Hill myna (*Gracula religiosa*), Jungle Owl (*Glaucidium radiatum*), Spotted Owl (Strix occidentalis) etc. and Bevan's swift (*Pseudonorbo bevani*), Common small flat (*Sarangesa dasahara*), Indian skipper (*Spialia galba*), Blue pansy (*Junonia orithiya*), Blue mormon (*Papillio polymnestor*), Lime butterfly (*Papilio demoleus*), etc. are the birds and butterflies species of the national park. In addition, Barking Deer (*Muntiacus muntjak*) and Spotted deer (*Axis axis*) are the important endangered species protected in the National parks.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kanger valley national park as Ecosensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area an extent ranging from 0 (zero) to 6.6 km from the boundary of the protected area of Kanger Valley National Park in the state of Chhattisgarh (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -

(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **166.00 square kilometres** of an extent ranging from **0 (zero) to 6.6 km** from the protected area. Zero ESZ extent at eastern direction is due to adjoining of interstate border with Odisha.

North	4.5 km
North- East	4.6 km
East	0 km
South-East	2.4 km
South	4.8
South-West	3.9 km
West	6.6 km
North-West	2.6 km

- (2) The boundary description of Kanger Valley National park and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure-I.
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-D.**
- (4) The geo-coordinates of Kanger Valley National park and its Eco-sensitive Zone are given in table A & B of Annexure-III.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest and Wildlife,
 - (iii) Agriculture,
 - (iv) Revenue,
 - (v) Urban Development,
 - (vi) Tourism,
 - (vii) Rural Development,
 - (viii) Irrigation and Flood Control,
 - (ix) Municipal
 - (x) Panchayati Raj
 - (xi) Public Works Department,
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure ecofriendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. -

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Kanger Valley National Park or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) Discharge of effluents. Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

- (10) Bio-medical waste. Bio medical waste management shall be as under:
 - (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) Plastic Waste Management. The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and Demolition Waste Management. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste. The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular Pollution**. Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) Industrial Units. -
 - (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of Hill Slopes. The protection of hill slopes shall be as under:
 - (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
 - (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	Α	. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	 a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	В.	Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	 (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic
		 (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the
10.	Small scale non polluting industries.	Zonal Master Plan. Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Ecosensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	 a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws .

0.4	D: 1	T
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste .	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C.	Promoted Activities
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Collector, Jagdalpur District Bastar	Chairman;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the govt. of Chhattisgarh for a period of one year	Member;
3.	Chief Executive Officer, District Panchayat, Jagdalpur	Member;
4.	Representative of Non-Governmental Organization working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year in each case.	Member;
5.	Supt. Engineer, Public Works Department ,Jagdalpur District Bastar	Member;

6.	Superintendent Engineer Public Health Engineering, Jagdalpur District Bastar	Member;
7.	Executive Engineer, Chhattisgarh environment conservation board	Member;
8.	Member State Biodiversity Board	Member;
9.	Assistant Director, Kanger Valley National Park, Jagdalpur	Member;
10.	Director, Kanger Valley National Park, Jagdalpur	Member Secretary.

6. Terms of Reference. -

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/50/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KANGER VALLEY NATIONAL PARK


North:- Northern boundary of Kanger Reserve Forest along the Northern boundaries of Compartments 91, 90, 89, 88, 92, 93, 94, & 81 North eastern boundary of compartments 82,79 north eastern boundary of compartment No. 78,77,107P,108, North eastern boundary of compartment 75, Northern boundary of compartment 109,110,111 Eastern boundary of compt. 111,112,113 and 114 Northern boundary of compt. 115 Eastern boundary of compt. 72, Northern boundary of compt. 69 then the ridge passing through compt. 68,59P,60P,63P & 62 meeting the kanger reserve forest boundary along the Kolab River.

East: - The state boundary between Orissa and Chhattisgarh along the Kolab River (Comprising boundaries of Compartment 62, 65, 66 and 325)

South: - Starting from kolab river southern boundaries of Kanger Reserve Forest, Compartment No. 325,324,323,322 and the ridge passing though the Compartment Nos. 321,320 and 318 of Kanger Reserve forest extending to kanger reserve forest, Western boundary of comppt. 330,331,332 southern boundary of compartment 334,339,340,344 and continuing up to the ridge passing though comptt. No. 345,347,294,287 & 288 and southern boundary of comptt. 174, 175


West: - Western boundary of comptt. 175 boundary of kanger reserve forest compt. 172 and kakalgur revenue village, southern, western and northern boundary of compt. 171; southern boundary of compt. Nos. 85,86,87,168,164 western boundary of Kanger reserve forest comprising boundaries of compt. Nos. 165,163 & 91.

ANNEXURE- II A
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANGER VALLEY NATIONAL PARK WILDLIFE ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- II B

GOOGLE IMAGE SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF KANGER VALLEY NATIONAL PARK WILDLIFE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- II C

LANDSCAPE MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF KANGER VALLEY NATIONAL PARK WILDLIFE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- II D

LANDSCAPE MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF KANGER VALLEY NATIONAL PARK WILDLIFE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Kanger Valley National Park

S. No.	National Park	Description	TYPE	Latitude	Longitude
1	Kanger Valley NP	NP Point	Α	18° 56'27.05	81°52'29.05
2	Kanger Valley NP	NP Point	В	18° 55'30.95	81°54'9.45
3	Kanger Valley NP	NP Point	С	18° 54'32.60	81°56'6.97
4	Kanger Valley NP	NP Point	D	18° 51'52.68	81°58'23.39
5	Kanger Valley NP	NP Point	Е	18° 50'48.42	82° 1'11.53
6	Kanger Valley NP	NP Point	F	18° 52'3.73	82° 3'22.83
7	Kanger Valley NP	NP Point	G	18° 50'3.64	82° 4'7.78
8	Kanger Valley NP	NP Point	Н	18° 48'13.65	82° 5'57.41
9	Kanger Valley NP	NP Point	I	18° 48'45.93	82° 10'3.44
10	Kanger Valley NP	NP Point	J	18° 45'55.73	82° 5'32.51
11	Kanger Valley NP	NP Point	K	18° 44'49.40	82° 3'9.12
12	Kanger Valley NP	NP Point	L	18° 46'23.35	82° 3'18.74
13	Kanger Valley NP	NP Point	М	18° 47'53.47	82° 0'57.94
14	Kanger Valley NP	NP Point	N	18° 48'20.98	81°58'38.52
15	Kanger Valley NP	NP Point	0	18° 49'35.53	81°57'20.47
16	Kanger Valley NP	NP Point	Р	18° 49'50.89	81°54'33.19
17	Kanger Valley NP	NP Point	Q	18° 52'3.33	81°55'31.40
18	Kanger Valley NP NP Point		R	18° 53'41.27	81°53'3.41
19	Kanger Valley NP	NP Point	S	18° 54'50.48	81°52'0.16

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	National Park	Description	TYPE	Latitude	Longitude
1	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	1	18° 57'24.36	81°51'36.09
2	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	2	18° 55'59.66	81°55'12.96
3	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	3	18° 54'31.14	81°58'44.91
4	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	4	18° 52'17.95	82° 1'13.20
5	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	5	18° 52'9.98	82° 5'52.06
6	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	6	18° 50'11.39	82°9'40.70
7	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	7	18° 44'13.79	82° 5'24.23
8	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	8	18° 46'25.75	82° 1'48.45
9	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	9	18° 46'31.59	81°59'23.11
10	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	10	18° 47'49.58	81°56'17.16
11	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	11	18° 49'51.11	81°53'27.04
12	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	12	18° 51'42.81	81°52'44.62
13	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	13	18° 52'44.73	81°51'11.32
14	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	14	18° 54'3.07	81°51'4.554

15	Kanger Valley NP	Eco Sensitive p	15	18° 56'9.57	81°50'31.99

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KANGER VALLEY NATIONAL PARK

S. No.	Division	Village Name	Point ID	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Bastar	Mavlipadar	1	18° 55'37.36	81°55'25.83
2	Bastar	Kolawada	II	18° 53'17.48	82° 0'29.28
3	Bastar	Milkulwada	III	18° 52'43.28	81°58'56.70
4	Bastar	Nagalsar	IV	18° 51'54.97	81°58'43.75
5	Bastar	Pulcha	V	18° 48'54.24	82° 6'46.06
6	Bastar	Mundagarh	VI	18° 44'7.17	82° 4'8.28
7	Bastar	Kakalgur	VII	18° 51'50.52	81°54'30.41

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.